(5)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–..... 61.....सन् 2018–19

केश का प्रकार .....भू0हदबंदी अधिनियम की धारा–16(3) के अंतर्गत अरिया सिलिग अपील वाद

अर्जीकार– **विवेकानन्द झा अन्य** प्रतिपक्षीः– . **शिवनाथ यादव उर्फ शिवजी यादव**

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
	अर्जीकारः–1– विवेकानन्द झा पिता स्व0 परमा नन्द झा 2– सचिदानंद झा पिता स्व0 परमा नंद झा, साकिन–बासुदेवपुर,कोईलख थाना–राजनगर। प्रतिपक्षीः– 1–शिवनाथ यादव उर्फ शिवजी यादव पिता स्व0 ठकाई यादव मौजा–रतिकर टोले भूतहा बाजार, थाना एवं अंचल–राजनगर ....प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष। 2– रामानंद यादव पिता स्व0 लक्ष्मी यादव, साकिन–रतिकर, टोले भूतहा बाजार थाना–राजनगर, जिला–मधुबनी.....प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष।	
2.11.18	प्रस्तुत वाद अपीलकर्ता के अपील आवेदन पर समाहर्ता, मधुबनी के माननीय न्यायालय में प्रारम्भ हुआ, जो वाद संख्या–61/16–17, 140/18–19 के रूप में चला। वाद संचालन के कम में पत्रांक–3053/जि0वि0 दिनांक–06.09.2018 से सुनवाई के लिए दिनांक–22.10.2018 को तिथि निर्धारित करते हुये हस्तान्तरित हुआ। अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समय की मांग की गई। यह वाद वर्ष 2016–17 से लंबित चला आ रहा है इसलिए अब विलम्ब किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिपक्षी के वकालतन समयावेदन को अस्वीकृत करते हुये वाद को आदेशार्थ रखा गया। दोनों पक्षों को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। **<u>अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>** 1– प्रश्नगत भूमि मौजा–मौआही, अंचल–राजनगर, पुराना खाता नं. 71 पुराना खेसरा संख्या–579 एवं 580 था जिसका नया खाता नं. 302 नया खेसरा संख्या–464 रकवा 2 कट्ठा 10 धुर है जो अपीलकर्ता के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में रहता आया। 2– अपीलकर्ता को प्रश्नगत भूमि बिकी करने की आवश्यकता हुई। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष ने प्रश्नगत भूमि कय करने हेतु तैयार नहीं हुये। प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष तैयार हुये तथा तयसूदा जरसेमन पर भूमि निबंधित केवाला तैयार किया गया किन्तु प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष जब तयसूदा जनसेमन अदा नहीं किया तो उक्त दस्तावेज को निबंधन कार्यालय से रद्द करा दिया गया तथा प्रश्नगत भूमि अपीलकर्ता के दखल कब्जा में बरकरार रहा। 3– दस्तावेज दिनांक–17.05.2016 में कातिब द्वारा भूलवश प्रश्नगत भूमि को कृषि लिख दिया गया जबकि उक्त भूमि आवासीय है। 4– प्रश्नगत भूमि के सटे पश्चिम प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष ने पूराना खेसरा संख्या–578 नया 459 एवं नया खेसरा संख्या–459 एवं 579 से रकवा 04 कट्ठा 18 धूर से अपीलकर्ता से पूर्व में निबंधित केवाला के माध्यम से कय किया था जिसमें उनका आवासीय पक्का का मकान भी अवस्थित है जिसमें प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष सपरिवार निवास भी कर रहे हैं।	

5– अपीलकर्ता ने निम्न न्यायालय वाद में उपस्थित होकर कुछ बिन्दु प्रस्तुत किया। निम्न न्यायालय ने अंचल अधिकारी, राजनगर से प्रतिवेदन मांगा किन्तु बिना प्रतिवेदन प्राप्त हुये ही जल्दबाजी में 7.12.2016 को आदेश पारित कर दिया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आच्छेपित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपील आवेदन दायर किया गया है।

6– विवादित केवाला विवेकानन्द झा वगैरह–बनाम–रमानन्द यादव दिनांक–17.05.2016 निबंधन कार्यालय द्वारा दिनांक–04.06.2016 ई. को कैंसिल हो चुका है।

7– विवादित भूमि से सटे प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की जमीन है जिसपर उनका पक्का मकान अवस्थित है, जो अंचल अधिकारी, के पत्रांक–228 दिनांक–22.02.2017 से स्पष्ट है।

8– विवादित भूमि के चारों ओर आवाासीय घर है।

9– प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष एवं अपीलकर्ता भूमिहीन व्यक्ति हैं।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–

1– प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष शिवनाथ यादव उर्फ शिवजी यादव प्रश्नगत भूमि क्रय करने हेतु इच्छूक थे किन्तु उन्होंने प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष को निबंधित केवाला के माध्यम से भूमि बिक्री कर दिया जबकि प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष न तो प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत हैं और न ही अपीलकर्ता के सह भागीदार जबकि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत है जो निबंधित दस्तावेज के चौहद्दी से भी स्पष्ट होगा।

2– प्रश्नगत भूमि कृषि योग्य है। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष ने तयसूदा राशि एवं दस प्रतिशत अतिरिक्त का चालान जमा कर विधिवत् नोटिस निबंधित डाक से रमानन्द यादव विवेकानन्द झा एवं सच्चिदानन्द झा को भेजने के बाद निम्न न्यायालय में अरिया रैयत होने के नाते वाद आवेदन दायर किया। जिसमें निम्न न्यायालय ने सुनवाई के उपरान्त शिवनाथ यादव का आवेदन मंजूर कर रमानन्द यादव को केवाला शिवनाथ यादव के नाम से करने का आदेश पारित किया।

3– प्रश्नगत केवाला में भूमि का किस्म कृषि है इसलिए इसे किसी भी हाल में आवासीय नहीं माना जा सकता क्योंकि कृषि का स्टाम्प भी दिया गया है। प्रश्नगत केवाला में अंकित चौहद्दी में भी शिवनाथ यादव पश्चिम चौहदी में हैं।

4– सिलिंग एक्ट के दफा 16(3) के प्रावधानों को विफल करने के उद्येश्य से कैंसिलेशन दस्तावेज तामिल किया गया है। अपीलकर्ता वो प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष को जब जानकारी हुई तब कैंसिलनामा दस्तावेज तामिल किया गया है। रमानन्द यादव प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत या अपीकर्ता के सहभागी नहीं हैं जबकि शिवनाथ यादव प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत हैं। प्रश्नगत भूमि कृषि योग्य है इसलिए शिवनाथ यादव अग्रक्रयाधिार के अधिकारी हैं।

निम्न न्यायालय द्वारा वाद संख्या–2/2016–17 शिवनाथ यादव–बनाम–रामानन्द यादव वगैरह में दिनांक– 7.12.2016 को पारित आदेश का मुख्य अंशः–

आवेदक शिवनाथ यादव को प्रश्नगत भूमि के वास्तविक अरिया रैयत मानते हुये विपक्षी को प्रश्नगत भूमि का केवाला आवेदक के नाम करने का आदेश दिया गया।

निष्कर्षः–

अपीलकर्ता का अपील आवेदन एवं लिखित बहस प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की ओर प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं लिखित बहस तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन एवं परिसिलन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी केवाला कैंसिल किये जाने का उल्लेख है। अपीलकर्ता ने लिखित बहस के साथ कैसिंलनामा दस्तावेज की छाया प्रति भी प्रस्तुत किया है। जब मूल केवाला ही कैंसिल हो गया

(7)

वैसी स्थिति में उक्त वाद में अग्रक्रयाधिकार का कोई प्रश्नगत ही नहीं उठता है।

अतएव अपीलकर्ता के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुये निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

9.11.16

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

9.11.16

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

पत्रांक 368 दिनांक 2.1.18 के आदेश की प्रति ... को निर्देशानुसार भेजी गयी।

2.1.18